विधान परिषद प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-08 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
8(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ के चारों ओर से निकली आउटर रिंग रोड/किसान पथ के दोनों ओर 500 मीटर किसानों की खाली पड़ी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव विचाराधीन है ?	जी हाँ। आउटर रिंग रोड/किसान पथ के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गयी भूमि का सुनियोजित विकास करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की 176वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.12.2022 में विषय संख्या-176/4 पर प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।
(ख) यदि हाँ, तो क्या जनहित में जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण/पुर्नवास कल्याणकारी नीति बनाई गई है ?	''भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' के अनुसार।
(ग) यदि हाँ, तो उक्त अधिग्रहण/ पुर्नवास नीति क्या है, तथा किसानों की अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का पुर्नवास/मुआवजा किस दर से दिया जाना प्रस्तावित है ?	''भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' के अनुसार।
(घ) क्या राजधानी लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ के दोनों तरफ 500 मीटर की परिधि में जो गांव/आवासीय भवन/भूखण्ड आते हैं तथा भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित है सरकार द्वारा ऐसी आवासीय भूमि का सर्वे कराकर किसानों/जनता को बेघर होने से बचाने के लिए ऐसी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त रखा जायेगा ?	''भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' के अनुसार।
(ड़) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री